इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 सितम्बर 2020—भाद्र 17, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2020

क्र. एफ 3-47-2020-अठारह-5.—मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है उक्त अधिनियम की धारा-85 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिसके कि उनसे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान होने पर विचार किया जावेगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

प्रारूप संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम-25 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

25 (क) अपील एवं पुनरीक्षण.—नियम 25 के अधीन पारित आदेश के लिए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 31तथा 32 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित क्रमशः अपील एवं पुनरीक्षण हेतु लागू होंगे."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2020

क्र. एफ-03-47-2020-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्र. एफ-03-47-2020-अठारह-5, दिनांक 5 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 5th September 2020

No. F-3-47-2020-XVIII-5.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons, likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shal be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any persons, with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, after rule 25, the following rule shall be inserted, namely:—

25(A) Appeal and revision.—For an order passed under rule 25, the provisions of Section 31 and 32 of Madhya Pradesh Town & Country Planning Act, 1973 shall apply *mutatis mutandis* for appeal and revision respectively.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.